

राजस्थान सरकार
जल संसाधन विभाग

for passed
DSC/11/2
11/2

क्रमांक : प.15(1)(232)सि0 / 83

जयपुर, दिनांक : 08.2.16

—: आदेश :—

श्री परमानन्द त्यागी, सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एवं केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं से संबंधित कार्यों हेतु कन्सलटेन्ट के रूप में कार्यग्रहण तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिये 41,000/- (अक्षरे इकतालीस हजार रूपये मात्र) प्रति माह की दर पर राजस्थान लोक उपापन पादर्शिता नियम, 2013 के नियम-17 के अनुसार एकल स्रोत उपापन के माध्यम से नियुक्त किये जाने के एतद्वारा आदेश जारी किये जाते हैं।

आज्ञा से,

- 59

(पंकज ओझा)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, मा0 मंत्री महोदय, जल संसाधन, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ज0सं0, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. श्री परमानन्द त्यागी, सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता मार्फत मुख्य अभियन्ता, ज0सं0 जयपुर।
5. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव